न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील मु.सं. 10/2014

1. शंकरलाल
2. गणपतराम
3. रामेश्वरलाल

पिसरान रामरख

4. भागीरथ पुत्र गुलाराम
5. बुधराम
6. मनोज कुमार
7. बृजलाल
8. स्पंतलाल

पिसरान रामूराम

9. गोपीराम वल्द हजारीराम

जाति बिश्नोई निवासीगण रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलान्टान

बनाम

1. रूघाराम
2. तेजाराम
3. रामकिशन
4. जीवराज

पिसरान अमराराम जाति जाट भांभू निवासी मान्यणा तहसील नोखा जिला बीकानेर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. अपीलान्टान की ओर से — श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता
2. रेस्पो. सं. 2 व 4 की ओर से — श्री रामरतन गोदारा अधिवक्ता
3. रेस्पो. सं. 1 व 3 की ओर से — अनुपस्थित
4. रेस्पो. सं. 5 की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

:: निर्णय :: दिनांक 31.01.2020

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक **13.06.2013** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नोखा जिसकी रूह से मौके की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का खाता विभाजन स्वीकृत किया गया। जो हुक्म अदालत मातहत खिलाफ कानून कायदा रूएदाद मिसल के होने से काबिले खारिज है। अतः अपील मंजुर फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 13.06.2013 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल संख्या 367 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टान के नाम बैनामा के आधार पर इन्तकाल तस्दीक कर नक्शें मेंरास्ता अंकित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर मियाद के बिन्दू को सुरक्षित रखते हुवे मामला दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व मूल रिकार्ड मंगवाये जाने के आदेश दिये गये । रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 व 4 की ओर से श्री रामरतन गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तदन्तर मामले के गुणावगुण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अति॰ जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

3. अपीलाण्ट पक्ष के अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निवेदन किया कि आराजी जैर अपील वाके रोही मान्याणा के पुराना खसरा नम्बर 22 तादादी 18 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 71 तादादी 81 बीघा 1 बिस्वा कुल तादादी 99 बीघा 4 बिस्वा में स्थित रही है जिसमें से अपीलान्ट संख्या 1 ता 3 के पिता रामरख अपीलान्ट संख्या4, अपीलान्ट संख्या 5 ता 8 के पिता रामूराम व अपीलान्ट संख्या 9 ने वाके रोही मान्याणा के अपने पुराने खेत खसरा नम्बर 10 में आवागमन के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पुराना खसरा नम्बर 22 के दिखणादा आथुणा पासा रास्ता मौजा देशनोक से आथुणी तरफ की 6 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 17.08.1983 को खरीद की थी। तब से उक्त 6 बिस्वा भूमि अपीलान्टान द्वारा अपने खेत में आवागमन के लिए रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। जिसके नये खसरा नम्बर 217 कायम किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बैय की गई 6 बिस्वा भूमि की जानकारी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 ता 4 को है तथा उक्त 6 बिस्वा भूमि मौके पर अपीलान्टान द्वारा सन् 1983 से पहले से रास्ते के रूप में उपयोग ली जा रही है लेकिन अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव पर मौके पर मौजूद रास्ते की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के मध्य खाता विभाजन का आदेश जैर अपील पारित कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को बैय की गई भूमि का हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से में रख दिया। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बैय की गई थी। आदेश जैर अपील अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित कियागया होने से एबिनिशियों वॉयडहै ऐसे वॉयड आदेश को किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अपीलान्टान के पीछ पीठे पारित किया गया होने से अपीलान्टान को आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं रही। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा में एक दावा अनवानी तेजाराम बनाम शंकरलाल वगैराह प्रस्तुत कर रखा है जिसके सम्मन प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा प्रस्तुत किया तो दिनांक 3.09.14 को वकील साहब ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या1 ता 4 के मध्य खाता विभाजन हो चुकाहै जिसमें अपीलान्टान के नाम खरीद शुदा भूमि वाला हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से में अंकित है। खाता विभाजन का इन्तकाल संख्या 367 भी चढ़ चुका है। इसलिए अपीलान्टा या दिगर रेस्पोडेन्टान संख्या 2 के नाम अंकित भूमि में बैयाना के आधार पर अपने नाम इन्तकाल तस्दीक करवाये या फिर विभाजन आदेश की अपील करे तब अपीलान्टान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को अपने

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

पक्ष में हुए बैनामा के आधार पर इन्तकाल चढवाने का निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टान को बैय की गई भूमि विभाजन में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से में रखी गई है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलान्ट के नाम इन्तकाल नहीं चढवाएगा तथा मौके पर चल रहे आवागमन के रास्ते को बंद करेगा तब अपीलान्टान ने आदेश जैर अपील की नकल के लिए दिनांक 29.9.2014 को आवेदन किया जो दिनांक 29.9.2014 को प्राप्त हुई तो अपीलान्टान को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी होने से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की है। वर्तमान खसरा नम्बर 217 में से दक्षिणी पश्चिम हिस्से में स्थित सीमा पर 6 बिस्वा भूमि अपीलान्टान की खरीद शुदा भूमि है जो रास्ते के लिए उपयोग में आरही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अदालत मातहत ने मौके की जांच किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया है । अतः अपील मंजुर फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 13.6. 12013 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल संख्या 367 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टान के नाम बैनामा के आधार पर इंतकाल तस्दीक कर नक्शे में रास्ता अंकित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। बहस के समर्थन में अपीलान्टान पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने RLW 2011(1) RJ Page 441, RLW 2009(2) RJ Page 877, RLW 2007(2) RJ Page 777 SC, RLW 2005(2) RJ Page 596, RLW 2010(1) RJ Page 174, RLW 2007(1) RJ Page 607, RLW 2011(1) RJ Page 262, RLW 2009(1) RJ Page 151, RLW 2008(2) RJ Page 1142, RLW 2006(1) RJ Page 276, RLW 2005(2) RJ Page 397, RLW 2012(1) RJ Page 24, RLW 2014(2) RJ Page 1139, RLW 2012(2) RJ Page 995, RRD 1984 Page 800(b) उद्धरण प्रस्तुत किये।

4. इसके विपरीत रेस्पोण्डेण्टान् के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी रूपाराम, तेजाराम, रामकिशन एवं जीवराज पिसरान अमराराम जाति जाट सा. मान्याणा ने अपनी संयुक्त खातेदारी रकबा 24.089 है. का आपसी सहमति से बंटवारा चाहने पर तहसीलदार नोखा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर रिपोर्ट हल्का पटवारी पारवा एवं भू.अ.नि. ने प्रार्थी के प्रार्थना अनुसार मौके पर कब्जा काश्त एवं खाते पर कोई स्थगन, विवाद, रहन नहीं होने अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खाता विभाजन आपसी सहमति व हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार स्वीकृत किया गया है तथा हल्का पटवारी को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शें में तरमिम का आदेश दिये गये है। लिखित अनुबंध अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया गया है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सम्पूर्ण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जांच कर आदेश पारित किया है। इसलिये अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत अपील तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 13.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का खाता विभाजन स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से ग्राम मान्याणा के खसरा नम्बर 22 की 18 बीघा 3 बिस्वा, व खसरा नम्बर 71 की 81. बीघा 1 बिस्वा कुल 99 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदारी में से अपनी हिस्से की 6 बिस्वा भूमि रास्ते में उपयोग हेतु खरीद की थी, जो कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रति पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1983 से साबित है। इसी प्रकार मिलान खसरा सन् 1989–90 की प्रमाणित प्रति से यह प्रमाणित होता है कि गत खसरा नम्बर 2 व 22 मिन से नये खसरा नम्बर 215 व 217 पैमूद हुवे है तथा अपीलाधीन आदेश में खाता विभाजन में उल्लेखित रकबे में खसरा नम्बर 215 एवं 217 भी प्रभावित रकबा है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय किये जाने के बावजूद भी विक्रित भूमि को सम्मिलित करते हुवे खाता विभाजन करवाना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उक्त तथ्य तहसीलदार नोखा के समक्ष अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं हुवे थे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को यथावत रखना न्यायौचित नहीं होगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट न्याय हित में स्वीकार की जाकर तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 13.06.2013 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार नोखा को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय पत्र एवं मौका जांच कर समुचित आदेश पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति. जिला कलक्टर,(प्रशा.)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर